

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा,

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

व्य.वाद क्रमांक 63ए/2016
संस्थित दिनांक 30.10.2016
फाइलिंग नंबर-3003522016

- 1.गोमतीबाई आयु 55 वर्ष पति श्री बिसाहुदास जाति पनिका,
 - 2.चुड़ामणी आयु 32 वर्ष पिता बिसाहुदास जाति पनिका,
 - 3.शिरोमणी आयु 30 वर्ष पिता बिसाहुदास जाति पनिका,
 - 4.भूपेन्द्र आयु 28 वर्ष पिता बिसाहुदास जाति पनिका,
 - 5.ममता आयु 26 वर्ष पति गौरव(पिता बिसाहुदास) जाति पनिका
- सभी निवासी ग्राम साखा तहसील बिरसा जिला बालाघाट ।

.....वादीगण

:: विरुद्ध ::

- 1.बिसाहुदास पिता रामदास आयु-64 वर्ष जाति पनिका,
 - 2.बसंताबाई पति बिसाहुदास आयु 60 वर्ष जाति पनिका,
 - 3.भगवंतदास आयु 40 वर्ष पिता बिसाहुदास जाति पनिका,
 - 4.संतोष कुमार आयु 33 वर्ष पिता बिसाहुदास जाति पनिका,
 - 5.श्रीमति इंदिराबाई आयु 45 वर्ष पति बिसाहुदास जाति पनिका,
- सभी निवासी ग्राम साखा तहसील बिरसा जिला बालाघाट म.प्र. ।
- 6.म0प्र0 राज्य द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट ।
- तहसील व जिला बालाघाट म.प्र. ।

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(दिनांक 31.03.2018 को घोषित)

01— यह वाद मौजा साखा प.ह.न.44 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त भूमि ख.नं.3/6 रकबा 2.360 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 44/52 रकबा 0.138 हेक्टेयर भूमि के विषय में अंश निर्धारण कर

कब्जा प्राप्ति, विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2016 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित पते के निवासी होकर आपस में सगे रिश्तेदार हैं। वादी क्रमांक 01 प्रतिवादी क्रमांक 01 की पत्नि तथा शेष वादीगण पुत्र एवं पुत्रियाँ हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि को अफरा-तफरी करने के आशय से तहसील कार्यालय बिरसा में प्रतिवादी क्रमांक 02 से 05 के मध्य बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा विक्रय कर वादीगण के हक को समाप्त करना चाहता है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है।

03— मौजा साखा, प.ह.नं.44, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 3/6 रकबा 2.360 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 44/52 रकबा 0.138 हेक्टेयर है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खानदानी हक की भूमि है। मूल पुरुष रामदास के फौत होने के उपरान्त प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई, जिसपर उभयपक्ष का शामिल-शरीक कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है।

04— वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का वंश वृक्ष-मूल पुरुष रामदास(फौत) पुत्र बिसाहुदास प्रतिवादी क्रमांक 01 तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 की पत्नियाँ बसंताबाई, गोमतीबाई तथा तृतीय पत्नि(ला-औलाद), बसंताबाई से उत्पन्न संताने भगवंतदास तथा संतोष कुमार तथा गोमतीबाई से उत्पन्न संताने चुड़ामणी, शिरोमणी, भुपेन्द्र तथा ममता है।

05— मौजा साखा प.ह.नं.44 में स्थित खानदानी भूमि में से लगभग 3.00 एकड़ को वादीगण द्वारा पारिवारिक व्यवस्थापन अनुसार काश्त कर उपयोग

उपभोग किया जा रहा है, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 01 सामूहिक रूप से प्रथम तथा तृतीय पत्नि के साथ निवासरत है। प्रतिवादी क्रमांक 01 की तृतीय पत्नि इंदिराबाई निःसंतान है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादीगण द्वारा कहे जाने पर कि भूमि के राजस्व अभिलेख में जोत काशत अनुसार दुरुस्त करवाकर अलग-अलग विभाजित करवा लेते है, तब हमेशा कहा जाता रहा है कि किस बात की जल्दबाजी है समय आने पर दुरुस्त करवा लेंगे और सभी का अंश अनुसार कब्जा चला आ रहा है, जिनकी बातों पर शांत रहे, किन्तु दिनांक 27.06.2016 को वादीगण जिस भू-भाग पर काशत कर उपयोग उपभोग करते थे, पर काशत करने से मना करने हुए प्रतिवादीगण द्वारा लड़ाई-झगड़ा कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वादीगण भयभीत हो गये हैं।

06— प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक को समाप्त करने हेतु तहसील कार्यालय बिरसा में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 के मध्य भूमि का विभाजन करने के लिये एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था, उक्त संबंध में इशतेहार प्रकाशन के माध्यम से वादीगण को जानकारी प्राप्त हुई थी। वादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कहा जा रहा है कि वादग्रस्त भूमि मेरे नाम पर दर्ज है और वह जैसा चाहे उपयोग कर सकता है तथा वह संपूर्ण भूमि को विक्रय कर देगा। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा क्रेता ग्राहकों को भूमि दिखाना व बेचने का सौदा करना प्रारंभ कर दिया है और वह भविष्य में क्रेता पक्षकार से संपूर्ण भूमि को विक्रय करने का सौदा कर देगा।

07— वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2014-15 में सामूहिक रूप से वादग्रस्त भूमि का समस्त पारिवारिक सदस्यों के मध्य विभाजन किये जाने हेतु तहसील न्यायालय बिरसा में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जो लंबित रहने के बावजूद भी प्रतिवादीगण के बीच भूमि के विभाजन का आवेदन दिनांक

12.08.2016 को पेश किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण 1/10 भाग के अंशधारी है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने हेतु जुताई कार्य किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट किये जाने की धमकी दिये जाने से वादीगण द्वारा दिनांक 27.06.2016 को पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, किन्तु जमीन संबंधी विवाद होने से थाना बिरसा द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

08— वादी क्रमांक 01 के द्वारा वाद के लंबनकाल के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 04 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 3/6 में से भूमि रकबा अंश भाग 0.405 हेक्टेयर चोरी छिपे विक्रय दिनांक 27.10.2016 को विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीयन कार्यालय बैहर में विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया गया है, जिसे प्रभावशून्य घोषित किया जावे।

09— वादीगण द्वारा अपने वाद के मूल्यांकन भूमि का अंश निर्धारण किये जाने बाबद् 1,000/- रुपये तथा अंश अनुसार भूमि का कब्जा प्राप्ति हेतु भूमि के लगान का 20 गुना अर्थात् 2.75 गुना 20 बराबर 55.00 रुपये भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 के बीच बंटवारा कर विक्रय करने से रोके जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबद् मूल्यांकन 1,000/- रुपये किया गया है, जिस पर क्रमशः न्यायशुल्क स्टाम्प 500+100+120 का चस्पा किया गया है।

10— अतः वादग्रस्त भूमि मौजा साखा प.ह.न.44 रा.नि.म. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित ख.नं.3/6 रकबा 2.360 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 44/52 रकबा 0.138 हेक्टेयर भूमि पर वादीगण का 1/10 भाग का अशधारी होने की घोषणा प्रदान की जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2016 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने तथा उपरोक्त संपूर्ण भूमि का अंश निर्धारण कर

बंटवारा की आज्ञाप्ति प्रदान की जाकर प्रत्येक हिस्सेदार को उन्हें बंटवारा में प्राप्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे।

11— पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 ने यह व्यक्त किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर पनिका जाति के हैं। पनिका जाति के सदस्य होने से उभयपक्ष को हिन्दू विधि लागू होती है, इस कारण उभयपक्ष बनारस हिन्दू पीठ की मीताक्षरा शाखा से शासित होते हैं। वादी क्रमांक 01 श्रीमति गोमन्तीबाई प्रतिवादी क्रमांक 02 से 05 के उत्पन्न होने के लगभग पांच वर्ष तक प्रतिवादी क्रमांक 01 के साथ सुखपूर्वक रही। उसके पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 से छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर विवाद करने लगी, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अपने मकान में ही वादीगण को पृथक से एक कमरा रहने हेतु दिया गया, जिसमें वादीगण निवासरत है तथा उनका भरण-पोषण प्रतिवादी क्रमांक 01 के ही द्वारा किया जाता है तथा वादी क्रमांक 02 से 05 का विवाह भी प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा ही किया गया। वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 को मई माह में बंटवारा मांगने की बात करने लगे, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 ने समझाया कि भूमि उसके नाम से है और वह उन लोगों का पालन-पोषण करता है और उसके जीवनकाल में भूमि का बंटवारा नहीं करेगा, क्योंकि संपूर्ण भूमि पर उसका कब्जा व जोत है तथा उन लोगों का तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 से 05 का भी कोई अधिकार नहीं है।

12— वादी क्रमांक 01 प्रतिवादी क्रमांक 01 से हट धर्मीपूर्वक जिद्द करने लगी कि उसे तथा उसके बच्चों को हिस्सा बंटवारा ही चाहिए, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-178 के अंतर्गत तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में अपने वारिसों के मध्य बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन में वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 से

05 अनावेदक थे, उनकी उपस्थिति हेतु समन जारी होने के उपरांत भी वादीगण उपस्थित नहीं हुए, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 ने उक्त आवेदन को खारिज करवा लिया। वर्तमान में उक्त भूमि से संबंधित कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

13— प्रतिवादी क्रमांक 01 वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी उम्र-65 वर्ष है जो हमेशा बीमार रहता है, जिसे वादीगण छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए मारने पीटने को उतारू होते हैं। वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 से 05 प्रतिवादी क्रमांक 01 को कोई सहायता नहीं करते, इसलिये प्रतिवादी क्रमांक 01 ने उक्त भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि 1,50,000/- रुपये में संतोष कुमार को विक्रय कर उसके पक्ष में भूमि का पंजीयन कर कब्जा एवं मालिकी दे चुका है। उक्त राशि से प्रतिवादी क्रमांक 01 अपना स्वयं का ईलाज करवा रहा है।

14— प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता रामदास के फौत होने के उपरांत वादग्रस्त भूमि उसके नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई। प्रतिवादी क्रमांक 01 अपने पिता के जीवनकाल से ही वादग्रस्त भूमि पर मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहा है। संपूर्ण भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 बिसाहूदास के हक मालिकी एवं कब्जे की भूमि है और प्रतिवादी क्रमांक 01 को अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का संचालन करने एवं व्ययन करने का संपूर्ण अधिकार है। वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 01 के जीवनकाल तक वादग्रस्त भूमि का कब्जा बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा किसी भी प्रकार से आज़ाप्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा लोगों के बहकावे में आकर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 को परेशान करने की नियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।

15— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रत्येक वादी वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 3/6 रकबा 2.360 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 44/52 हेक्टेयर प.ह.न.44 रा.नि.म. बिरसा के 1/10 अंश का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि को अवैधानिक रूप से विक्रय करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2016 वादी के स्वत्वों के मुकाबले शून्य है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक-29 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष:-

16— वादपत्र के अभिवचनों का समर्थन कर वादी गोमतीबाई वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 उसका पति तथा शेष वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 प्रतिवादी क्रमांक 01 की पत्नियाँ हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 व 04 प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की संतान हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा साखा स्थित खसरा नंबर 3/6 रकबा 2.360 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 44/52 रकबा 0.138 हेक्टेयर भूमि को अफरा-तफरी करने के आशय से तहसील कार्यालय बिरसा में प्रतिवादी क्रमांक 02 से 05 के मध्य भूमि का विभाजन कर नाम दर्ज करने आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उक्त आवेदन पत्र विधि-विरुद्ध होने से निरस्त किया गया, तब प्रतिवादी

क्रमांक 01 द्वारा भूमि को बिना किसी कारण के विक्रय कर वादीगण के हक को समाप्त करने के आशय से विक्रय करने के लिए ग्राहक ढूंढने पर वादीगण द्वारा विक्रय पत्र तहरीर करने से रोके जाने हेतु वाद पेश किया गया, जिसके उपरांत वादलंबन के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 04 के पक्ष में बिना मुआवजे की राशि प्राप्त किये भूमि विक्रय की जाकर उसके पक्ष में भूमि के विक्रय का पंजीयन करा दिया है, जो वादीगण पर बंधनकारक नहीं है।

17— वादी गोमतीबाई वा.सा.01 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में रामदास पिता हगरू की थी, जिसकी मृत्यु उपरांत फौती दाखिला के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर दर्ज हुई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामिल—शरीक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खानदानी सिजरा—मूल पुरुष रामदास(फौत), उसके वारसान पुत्र बिसाहुदास प्रतिवादी क्रमांक 01 तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 की पत्नियाँ कमशः बसंताबाई, गोमतीबाई तथा इंद्राबाई, बसंताबाई से उत्पन्न संताने भगवंतदास, संतोष कुमार तथा गोमतीबाई से उत्पन्न संताने चुड़ामणी, शिरोमणी, भूपेन्द्र तथा ममता है।

18— वादी गोमतीबाई वा.सा.01 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा मौजा साखा प.ह.नं.44 में स्थित भूमि जो कि खानदानी भूमि है, को पारिवारिक व्यवस्था अनुसार लगभग 3.00 एकड़ भूमि काश्त करने हेतु दी गई, जिसपर वादीगण मय परिवार सहित जोत बोकर काश्त कर उपयोग उपभोग किया जा रहा है, जिसका पटवारी द्वारा नाप जोक कर अलग—अलग राजस्व अभिलेख दुरुस्त नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 की तीन पत्नियाँ हैं व प्रथम पत्नि बसंताबाई से दो संतान भगवंतदास व संतोष कुमार है व वादी क्रमांक 01 से चार संतान कमशः चुड़ामणी, शिरोमणी, भूपेन्द्र तथा ममता है तथा तीसरी पत्नि इंदिराबाई निःसंतान है जो कि सामूहिक रूप से प्रतिवादी क्रमांक 01 के साथ निवासरत है।

19— वादी गोमतीबाई वा.सा.01 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादीगण के द्वारा कब्जा व जोत काशत अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु कहे जाने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा हमेशा कहा जाता रहा कि जल्दबाजी किस बात की है, समय आने पर रिकार्ड दुरुस्त करवा लेंगे अभी तो अपने-अपने कब्जे के अनुसार काशत करते चले आ रहे हैं, जिसकी बात मानते हुए शांत रहे, किन्तु दिनांक 27.06.2016 को वादीगण के काशत एवं कब्जे की भूमि को काशत करने से मना करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 द्वारा लड़ाई झगड़ा कर जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि उन्हें कोई हिस्सा बंटवारा नहीं देंगे, उनसे जो बनता है कर लो, उक्त धमकी के आधार पर कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान हक व अधिकार है।

20— वादी गोमतीबाई वा.सा.01 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक खानदानी भूमि है, जिस पर प्रत्येक वादी का खानदानी भूमि होने से 1/10 भाग का अंश निहित है, जिनके हक में 1/10 भाग के अंशधारी होने की घोषणा की जाकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किये जावे। दिनांक 27.06.2016 को जब वादीगण अपनी भूमि पर काशत कर रहे थे, तब प्रतिवादीगण द्वारा लड़ाई झगड़ा कर काशत करने से मना किये जाने व मारपीट करने की धमकी देने पर पुलिस थाना बिरसा में वादीगण द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, किन्तु पुलिस थाना बिरसा द्वारा भूमि संबंधी विवाद होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादलंबन के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 04 के पक्ष में कराई गई रजिस्ट्री वादीगण पर बंधनकारी नहीं होने से प्रभावशून्य घोषित किया जावे तथा अंश अनुसार भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

21— वादी गोमतीबाई वा.सा.01 द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पुलिस थाना बिरसा में की गई रिपोर्ट दिनांक 27.06.2016 की नकल प्र.पी.01, न्यायालय तहसीलदार बिरसा के राजस्व मामले में प्राप्त नोटिस क्रमशः दो प्रति

में प्र.पी.02 लगायत प्र.पी.03, तहसील न्यायालय बिरसा में बसंताबाई, भगवंतदास, संतोष कुमार व इंदिराबाई के द्वारा प्रस्तुत बटवारा आवेदन की प्राप्त प्रति क्रमशः दो प्रति में प्र.पी.04, वादग्रस्त भूमि के वर्तमान नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.05, वादग्रस्त भूमि के नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.06, वादग्रस्त भूमि की किश्तबंदी खतौनी की नकल प्र.पी.07, वादग्रस्त भूमि के खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.08, वादग्रस्त भूमि का भू-अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.09, तहसील बिरसा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 83अ/27 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 06.09.2016 लगायत 22.09.2016 तक की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.10, पुलिस थाना बिरसा में की गई रिपोर्ट दिनांक 12.11.2016 की नकल प्र.पी.11, प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 04 संतोष के पक्ष में की गई रजिस्ट्री दिनांक 27.10.2016 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.12 प्रस्तुत की गई। उक्त कथनों का समर्थन अरूण धुर्वे वा.सा.02, जगदीश वा.सा.03 तथा भूपेन्द्र वा.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये हैं।

22— वादीगण की साक्ष्य का खण्डन कर प्रतिवादी बिसाहुदास प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादी क्रमांक 01 गोमतीबाई उसकी पत्नि है तथा शेष वादीगण उसकी संताने है और वह पनिका जाति के है तथा उन पर हिन्दू विधि लागू होती है। गोमतीबाई को उससे चारों संतान होने के उपरांत लगभग पांच वर्ष तक उसके साथ सुखपूर्वक रही, उसके उपरांत गोमतीबाई उससे छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर विवाद करने लगी, तब उसने स्वयं के मकान में गोमतीबाई तथा चारों बच्चों को अलग से एक कमरा निवास हेतु दिया, तब से वादीगण उक्त मकान में निवासरत है।

23— प्रतिवादी बिसाहुदास प्र.सा.01 के अनुसार उसके द्वारा ही गोमतीबाई एवं बच्चों का भरणपोषण किया जाता है तथा चारों बच्चों का विवाह भी उसने ही किया है। पिछले वर्ष मई माह में वादीगण उससे बटवारा की मांग करने लगे, तब उसने वादीगण को समझाया कि भूमि उसके नाम पर दर्ज है

और वह उनका पालन-पोषण करता है। वह अपने जीवनकाल में जमीन का बटवारा नहीं करेगा और उन्हें उससे बटवारा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, तब गोमन्तीबाई हठधर्मीपूर्वक उससे जिद्द करने लगी कि उसे तथा उसके बच्चों को हिस्सा बटवारा चाहिए, तब उसने तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में उसके सभी बच्चे पक्षकार थे और चुड़ामणी, शिरोमणी, भूपेन्द्र तथा ममता एवं दूसरी पत्नि के बच्चे भगवन्तदास, संतोष कुमार, इन्द्रबाई सभी अनावेदक थे, उनकी उपस्थिति हेतु तहसीलदार बिरसा द्वारा उपस्थिति हेतु समन जारी किया गया, तब वादीगण अनुपस्थित रहने पर उसके द्वारा उक्त आवेदन खारिज करवा लिया गया तथा वर्तमान में उक्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

24— प्रतिवादी बिसाहुदास प्र.सा.01 के अनुसार वह 66 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, जो हमेशा बीमार रहता है। गोमन्तीबाई तथा उसके चारों बच्चे छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तथा मारने पीटने की धमकी देते हैं, जिस कारण वह गंभीर रूप से बीमार हो गया है, जिसके ईलाज हेतु उसे रुपयों की आवश्यकता थी, तब वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 से 05 ने उसकी कोई सहायता नहीं किये, इसलिये उसने अपने नाम की भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि 1,50,000/- रुपये में अपने पुत्र संतोष कुमार जो उससे पृथक निवारत है, को विक्रय कर भूमि का पंजीयन उसके पक्ष में कर जमीन का कब्जा भी दे दिया तथा प्राप्त राशि से वह अपना ईलाज करवा रहा है।

25— प्रतिवादी बिसाहुदास प्र.सा.01 के अनुसार उसके पिता रामदास के फौत होने के उपरांत फौती दाखिला अनुसार उक्त भूमि उसके नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई। वह रामदास के समय ही अपने पिता के साथ कृषि कार्य करता था। उसके नाम की संपूर्ण भूमि उसके कब्जे में है और उसे अपनी संपूर्ण

भूमि का संचालन एवं व्ययन करने का संपूर्ण अधिकार है। वादग्रस्त भूमि पर उसके जीवनकाल में उसके वारसानों का उससे हिस्सा मांगने का कोई हक व अधिकार नहीं है। गोमन्तीबाई एवं वादी क्रमांक 02 से 05 अन्य किसी के बहकावे में आकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण प्रस्तुत किये हैं, जिसे निरस्त किया जावे। उक्त कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी विष्णुसिंह प्र.सा.02 तथा कमलदास प्र.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये हैं।

26— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है, जो हगरुदास से रामदास तथा पश्चात में प्रतिवादी क्रमांक 01 को प्राप्त हुई। प्रकरण में यह भी निर्विवाद है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 बिसाहुदास की तीन पत्नियाँ हैं तथा वादी क्रमांक 01 प्रतिवादी बिसाहुदास की द्वितीय पत्नि है। प्रथम विवाह के अस्तित्व में द्वितीय विवाह की कोई वैधता नहीं है, जिस हेतु वादी क्रमांक 01 गोमतीबाई को प्रतिवादी बिसाहुदास की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उभयपक्ष का हिन्दू विधि से शासित होना स्वीकृत है। जहाँ तक शेष वादियों का प्रश्न है, विभिन्न न्यायदृष्टांतों द्वारा उक्त संबंध में सुस्थापित सिद्धांत है कि द्वितीय पत्नि के बच्चों को पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है ना कि पैतृक संपत्ति पर। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत भारत माता व अन्य विरुद्ध आर. विजय रंगनाथन व अन्य ए.आई.आर.2010 एस. सी.2685 तथा गवली बुडन्ना विरुद्ध आयकर आयुक्त मैसूर (1966) 3 एस.सी. आर.224 अवलोकनीय है।

27— वादग्रस्त भूमि को बिसाहुदास द्वारा पिता रामदास से मृत्यु पश्चात प्राप्त करना स्वीकृत है। एकमात्र जीवित सहदायी होने से पैतृक संपत्ति की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती और उसे स्व-अर्जित संपत्ति नहीं माना जा सकता। प्रकरण में भी वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है तथा वादीगण द्वारा पिता की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किये गये हैं। उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में वादीगण को

बिसाहुदास की पैतृक संपत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार प्रदत्त नहीं होता, जिससे विवादक प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवादक प्रश्न क्रमांक 02 व 03 का निष्कर्ष:-

28- पूर्व विवेचना से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार दर्शित करने में असफल रहे हैं, जिससे कोई अधिकार नहीं होने से उक्त विवादकों पर किसी विवेचना की आवश्यकता नहीं है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है। फलतः विवादक प्रश्न क्रमांक 02 व 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवादक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

29- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है कि:-

अ. वादीगण द्वारा वाद व्यय वहन किया जावेगा।

ब. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञा पारित बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर

जिला बालाघाट म.प्र.

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर

जिला बालाघाट म.प्र.